न्यायालय अति. जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : अशोक सांगवा, आर.ए.एस.

प्र.सं.–29/2025

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

–प्रार्थी

बनाम

1. प्यारासिंह पुत्र हरीसिंह कम्बोजसिख निवासी चक 61 जीबी हाल 3 एनएम तहसील अनूपगढ़(मृत्तक)

1/1 जगिन्द्र कौर पत्नी प्यारासिंह कम्बोजसिख निवासी 3 एनएम तहसील अनूपगढ़
1/2 कुलदीप कौर पुत्री प्यारासिंह कम्बोजसिख निवासी 3 एनएम तहसील अनूपगढ़
1/3 बलविन्द्र सिंह पुत्र प्यारासिहं कम्बोजसिख निवासी 3 एनएम तहसील अनूपगढ़
1/4 रविन्द्र कौर पुत्री प्यारासिंह कम्बोजसिख निवासी 3 एनएम तहसील अनूपगढ़
1/5 धर्मेन्द्र उर्फ राजू पुत्र प्यारासिंह कम्बोजसिख निवासी 3 एनएम तहसील अनूपगढ़

–अप्रार्थीगण

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :–

1. राजपैरोकार तहसीलदार, अनूपगढ़ –प्रार्थी
2. एडवोकेट श्री तिलकराज चुघ –अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :26.05.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि–

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (प्रकरण सं. 283/2013) से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ हैं। तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा राजस्थान सरकार की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ढाबां में खसरा सं.–69 में 99.17 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज थी जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 के खाता संख्या–34 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उपनिवेशन विभाग की चक बंदी के दौरान उक्त रकबा चक 3 एनएम के पत्थर नं.–44/46 किला नं.–3ता7,14,15,17 कुल 8.00 बीघा रकबा सीमांकित किया गया है। सूची नं.–4 की प्रमाणित प्रति संलग्न है। उक्त वर्णित 2.024 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी है। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 क प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नही की जा सकती तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते । इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं.–1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम् स्टेट में दिनांक 02.08.2004 का निर्णय पारित किया गया है साथ ही याचिका सं.–11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड़, नाला, तालाब नदी के कैचमैन्ट एरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना है। उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये है। उपरोक्त वर्णित भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(ii) व (ii) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारी प्रोधभूत नही होते है तथा उक्त भूमि का आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. पत्रावली पूर्ववर्ती न्यायालय से क्षेत्राधिकार परिवर्तन के पश्चात हस्तांतरित होकर प्राप्त होने पर अप्रार्थी अधिवक्ता को सूचित किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब पेश न करके सीधे बहस करना चाहा। इसलिए जवाब अप्रार्थीगण बंद किया गया।
3. प्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थीगण की रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया उक्त प्रकरण धारा 82 भू.राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया गया है जबकि कानूनन उक्त रेफरेंस न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होने के कारण विधि द्वारा वर्जित है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Digitally signed by Reena
Designation Additional Coll...

4. प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जोहड़ हेतु आरक्षित भूमि में से वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 3 एनएम के पत्थर सं. –44/46 मुरब्बा नं.–92 किला नं.–3ता7,14,15,17 कुल 2.024 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी प्यारासिंह पुत्र हरीसिहं जाति कम्बोजसिख साकिन 61 जीबी तहसील अनूपगढ़ को आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 25.10.75 को ई श्रेणी में आवंटित की गई थी जो वर्तमान रिकॉर्ड में अप्रार्थी स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी को किया गया उक्त आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर अनुच्छेद सं.–7 में वर्णित भूमि का आवंटन खारिज करते हुए भूमि को गैर मुमकिन जोहड़ दर्ज कर माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स करने का निवेदन किया।
5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि –

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board – *The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or properiety of the order passed and as to the regularity of proceedings;*

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.

6. धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। ग्राम 3 एनएम की जमाबंदी संवत 2012–15 तथा सूची नं.–4 के मुताबिक खसरा नं.–69 में 08 बीघा रकबा जोहड़ पायतन के नाम दर्ज है जो कि सूची नं.–4 मुताबिक 3 एन एम पत्थर नं.–44/46 किला नं.–3ता7,14,15,17 कुल 2.024 हैक्टर है जो कि जमाबंदी में प्यारासिंह पुत्र हरीसिंह कौम कम्बोजसिख आवंटित की गई थी उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर–कानूनी है एवं वर्तमान जमाबंदी में प्यारासिंह पुत्र हरीसिंह कौम कम्बोजसिख साकिन 61 जीबी के नाम से दर्ज है। उक्त रिकॉर्ड एवं तथ्यों से साबित होता है कि राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 क प्रावधानों के तहत उपरोक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार जनित नहीं होते है। जबकि कि भूमि जोहड़ पायतन का हिस्सा थी। इस हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित हैं।
7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता हैं कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अनूपगढ़ के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.05.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक सांगवा)
R.A.S.
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़